कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 90 / 2023

श्री पूरन मल महावर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौन्द, पंचायत समिति बाडी, जिला धौलपुर राज0

......**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर

.......**रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 07.01.2026**

अपीलार्थी श्री पूरन मल महावर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौन्द, पंचायत समिति बाडी, जिला धौलपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ कोर्ट/2025/1046 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्रांक आरटीआई/2026/22 दिनांक 06.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना व्यक्तिगत दस्तावेज की

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

श्रेणी में आने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 से आवद्ध होने के आधार पर सम्बन्धित पक्षकार की सहमति के बिना सूचना दिये जाने से इन्कार किया है। जिस बाबत् कार्यालय के पत्रांक 1151 दिनांक 15.11.2025 से प्रार्थी / अपीलार्थी को जबाब प्रेषित किया जा चुका है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रादि से स्पष्ट है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्य पक्षकार की सूचना चाही गई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 से आबद्ध होने के कारण सूचना उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया है। इस बाबत् प्रार्थी को पत्रांक 1151 दिनांक 15.11.2025 से अवगत कराया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर